RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : बुधवार 20 नवंबर 2024 वर्ष 06 अंक 221 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

मुंबई/ बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया अवैध होर्डिंग लगाने पर नकेल का निर्देश...

Page - 2

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में कैशकांड !

विनोद तावड़े ने बताया क्यों आए थे वह होटल ?

महाराष्ट्र में वोटिंग शुरू होने को केवल 15 घंटे बचे हैं। वोटिंग से पहले ही एक बड़ा सियासी खेल सामने आया है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर आरोप लगा है कि वह विरार के होटल में लोगों को 5 करोड़ कैश बांट रहे थे। इसी बीच बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर होटल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच पुलिस होटल पहुंची और विनोद तावड़े को मुश्किल से होटल के बाहर निकाला।

आरोपों पर बीजेपी की भी सफाई...

बैग में रखा था कैश

इस दौरान बहुजन अघाड़ी नेताओं ने तावड़े के साथ धक्का-मुक्की भी की। बहुजन अघाड़ी नेताओं ने कई डायरी, एक बैग दिखाया और कहा कि ये सब तावड़े का है। आरोप लगाया कि इसी बैग में रखा कैश तावड़े बांट रहे थे। अपनी डायरी में कैश का हिसाब भी नोट किया।

MVA अपनी हार को भांपकर लगा रही ये आरोप-BJP

इस पूरे मामले पर बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ठाकुर का दावा प्रचार का हथकंडा मात्र है। महा विकास आघाडी (MVA) हार को भांपकर ये आरोप लगा रही है। तावड़े और बीवीए नेताओं एवं कार्यकताओं के बीच टकराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

'पब्लिसिटी स्टंट' से ज्यादा कुछ नहीं- BJP

आरोपों का खंडन करते हुए बीजेपी नेता एवं विधान परिषद सदस्य (MLC) प्रवीण दरेकर ने कहा, 'एमवीए पहले ही हार चुका है। इस चुनाव में उनकी हार तय है, यही वजह है कि वे हमारे खिलाफ इस तरह के बेतुके आरोप लगा रहे हैं। ठाकुर जो कर रहे हैं वह एक 'पब्लिसिटी स्टंट' से ज्यादा कुछ नहीं है।'

तावड़े ने बताया क्यों आए थे होटल ?

मामला सामने आने के बाद विनोद तावड़े ने दावा किया कि चुनाव में वोटिंग कैसे होगी ? इसका मार्गदर्शन करने के लिए वो आए थे। इस बीच ये सारी घटनाएं हो गईं। विनोद तावड़े के मुताबिक, चुनाव आयोग की टीम ने उनकी गाड़ी, रूम और बैग की जांच भी की है। तावड़े ने कहा पुलिस चाहे तो CCTV फुटेज की जांच कर ले मैं पैसे नहीं बांट रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, 'नालासोपारा के विधायकों की बैठक चल रही थी। मतदान के दिन के लिए आदर्श आचार संहिता, वोटिंग मशीन को कैसे सील किया जाएगा और अगर कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो क्या करना है। मैं उन्हें इसके बारे में बताने गया था। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता अप्पा ठाकुर और क्षितिज को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं।' इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग और पुलिस को जांच करनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज निकालनी चाहिए। मैं 40 साल से पार्टी में हूं। अप्पा ठाकुर और क्षितिज मुझे जानते हैं। पूरी पार्टी मुझे जानती है...फिर भी, मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।'

14 आवारा कुत्तों के चार संदिग्धों हत्यारों को हिरासत में लिया गया...

मुंबईः मुंबई पुलिस 14 आवारा कुत्तों के हत्यारों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जिनके शव 9 नवंबर को कांदिवली पश्चिम में बरामद किए गए थे। सूत्रों के अनुसार, अब तक चार संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, इस घटनाक्रम की पुष्टि एक कार्यकर्ता ने की है, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें जांच में प्रगति की जानकारी है। जबकि शवों की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि आवारा कुत्तों के शवों को टुकड़ों में काटने के लिए धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इस जघन्य अपराध से पहले फूड पॉइजनिंग की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने साईं नगर में मंगलमय टॉवर के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है, लेकिन इस प्रयास से घटना के दिन आवारा कुत्तों की आवाजाही के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। क्षेत्र के निवासी, जिनमें से अधिकांश मारे गए आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जानवरों के खिलाफ क्रूरता के इस चौंकाने वाले मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

मुंबई में विधानसभा चुनाव के लिए 30,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया

मुंबईः महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मुंबई में सुरक्षा ड्यूटी पर 30,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पांच अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 20 पुलिस उपायुक्त, 83 सहायक पुलिस आयुक्त, 2,000 से अधिक अन्य पुलिस अधिकारी और 25,000 कर्मियों को तैनात किया गया है।

इसके अलावा, व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन दंगा नियंत्रण प्लाटून को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। अधिकारी ने बताया कि यातायात विभाग ने अलग से 144 अधिकारियों और 1,000 से अधिक अन्य कर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया है। 4,000 से अधिक होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं और विभिन्न केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों से लिए गए कई कर्मियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्यूटी सौंपी गई है। अधिकारी ने बताया कि 15 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से मुंबई में करीब 175 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, कीमती धातुएं, शराब, नशीले पदार्थ और अन्य सामान जब्त किए गए हैं।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत 4,492 व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी रूप से निवारक कार्रवाई की गई है।मुंबई पुलिस के एक आदेश के अनुसार, सभी मतदाताओं को मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है।अधिकारी ने कहा कि नागरिक सहायता के लिए बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय के मुख्य नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन 100/103/112 पर संपर्क कर सकते हैं।

संपादकीय...

बिजली क्षेत्र में सुधार जरूरी...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियों समेत तमाम बिजली कंपनियों को उचित ही यह सलाह दी है कि वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाएं। यदि ये कंपनियां बाजार मानकों के अधीन होतीं तो यह सलाह बहुत प्रभावी साबित होती। परंतु भारत का बिजली क्षेत्र का बाजार राजनीति से प्रेरित शुल्क नीतियों की वजह से विसंगतिपूर्ण बना हुआ है क्योंकि ये नीतियां सरकारी बिजली वितरण कंपनियों की व्यवहार्यता को प्रभावित करती हैं। यकीनन खट्टर ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि बिजली वितरण कंपनियों का समेकित कर्ज 6.84 लाख करोड़ रुपये और उनका कुल घाटा 6.46 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। ये चौंकाने वाले आंकड़े आंशिक तौर पर बीते सालों की तुलना में वित्त वर्ष 24 में रिकॉर्ड मांग और महंगे आयातित कोयले की बढ़ती लागत के साझा प्रभाव को दशार्ते हैं। इसका परिणाम 16 राज्यों के घाटे में जबरदस्त इजाफे के रूप में सामने आया। उनमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कई बड़े राज्य शामिल हैं। इस कमजोर प्रदर्शन की वजह से लगातार यह चिंता बढ़ रही है कि करदाताओं के पैसे से इस क्षेत्र को उबारने की कोशिश कितनी प्रभावी अथवा समझदारी भरी है। बीते दो दशक में भारत सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को उबारने के लिए पांच पैकेज दिए। इनमें ताजातरीन रिवैम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम या आरडीएसएस 2022 में पेश किया गया था और यह बहुत प्रभावी नहीं साबित हुआ। सैद्धांतिक तौर पर ऐसा इसलिए हुआ कि बिजली वितरण कंपनियां अधोसंरचना उन्नयन तथा स्मार्ट मीटरिंग के लिए जरूरी धन जुटाने में नाकाम रही हैं। ये केंद्र सरकार से बजट आवंटन की परिचालन पूर्व शर्तें हैं।

आरडीडीएस ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का स्थान लिया जिसका लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों के समेकित वित्तीय और परिचालन घाटे को कम करना था। इसके लिए राज्यों को कर्ज का बोझ वहन करने और बॉन्ड जारी करने थे। ये बॉन्ड इस समझ के साथ जारी होने थे कि बिजली का टैरिफ लागत से जुड़ेगा और समेकित तकनीकी और वाणिज्यिक हानि कम की जा सकेगी। इसके बजाय वित्त वर्ष 20 में योजना समाप्त होने के बाद बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन और कमजोर हो गया। तकनीकी और वाणिज्यिक हानि एक संकेतक है जो बताता है कि वितरण कंपनी, खरीदी गई जिस बिजली के लिए भुगतान नहीं पा सकी उसका स्तर वित्त वर्ष 24 में बढ़कर 17 फीसदी हो गया जबकि वित्त वर्ष 23 में वह 15 फीसदी था।

editor@rokthoklekhaninews.com
+91 99877 75650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

मुंबई/ बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया अवैध होर्डिंग लगाने पर नकेल का निर्देश...

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव नतीजों के बाद अवैध होर्डिंग लगाने पर नकेल का राज्य सरकार, जिला पुलिस प्रमुखों और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि वे राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अवैध होर्डिंग के खिलाफ 'सतर्क' रहें और राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों द्वारा अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कार्रवाई करें। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने सुस्वराज्य फाउंडेशन समेत कई संस्थाओं द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को यह भी निर्देश दिया कि वे पुलिस प्रमुखों को चुनाव नतीजों के बाद अवैध होर्डिंग के खतरे को रोकने में महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के सहायता के लिए आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने का निर्देश दें। यह मामला सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए अवैध होर्डिंग और बैनर पर जनहित याचिकाओं से संबंधित है। पीठ ने एक बार फिर राजनीतिक दलों को चेतावनी दी कि वे कोई भी अवैध होर्डिंग, बैनर या पोस्टर न लगाने के अपने वचन का पालन करें। पीठ ने इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की कि महानगरपालिका और नगर परिषद उसके निदेर्शों का पालन करने में विफल रहे। पीठ ने कहा कि कुछ महानगरपालिका के अधिकारियों ने केवल एक दिन के लिए अभियान चलाया और कुछ हलफनामों पर अपेक्षित अधिकारियों द्वारा शपथ नहीं ली गई। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के वकीलों से टिप्पणी की कि आप न्यायालय को हल्के में क्यों लेते हैं? आप मामले को कमजोर कर रहे हैं। होर्डिंग हटाना किसका काम है? यह आपका कर्तव्य है। ऐसे मामले को अदालत में क्यों लाया जाना चाहिए? और आप हलफनामा दाखिल नहीं कर सकते। इस प्रकार अदालत ने 29 महानगरपालिका और नगर पालिकाओं समेत 392 नगर परिषदों को इस साल 9 अक्टूबर के अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पीठ महानगर पालिका आयुक्तों को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने इस मामले में सहायता करने के लिए महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ को बुलाया और अपनी निराशा व्यक्त की।

लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई हिरासत में कैलिफोर्निया से लिया गया

मुंबई : साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका पुलिस ने कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया है। अलमोल अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में आरोपी है। अनमोल को हिरासत में लिए जाने के बाद अब भारत सरकार और भारतीय जांच एजेंसियों की कोशिश उसे जल्द से जल्द प्रत्यर्पित करके देश लाने की होगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियां अमेरिकी जांच एजेंसियों के संपर्क में हैं, हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अनमोल के खिलाफ दो सप्ताह पहले गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।ऐसा माना जा रहा है किइसी आधार परउसे हिरासत में लिया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही अमेरिका की ओर से मुंबई पुलिस को अनमोल के उसके क्षेत्र में ट्रेस होने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस संबंध में प्रस्ताव भी भेज दिया था। सूत्रों के मुताबिक उसे वापस लाने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है। दो सप्ताह पहले महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की विशेष अदालत ने अनमोल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। यह भी पढ़े -कभी पन्ना नहीं पलटने वाले राहुल गांधी संविधान की किताब जेब में लेकर घूमते हैं ! अनमोल बिश्नोई पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से दर्ज दो मामलों के अलावा 18 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

ठाणे में पत्नी को तीन तलाक देने और चार रुपये के लिए परेशान करने के आरोप में मामला दर्ज

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे में अपनी पत्नी को तीन तलाक देने और चार रुपये के लिए परेशान करने के आरोप में व्यक्ति और परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 33 वर्षीय शिकायतकर्ता महिला एक वकील है। आरोपी ने महिला से चार लाख रुपये या कार की मांग की थी। जब पीड़िता उसकी मांग पूरी नहीं कर पाई, तब आरोपी ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। बाद में उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार को आरोपी व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया।

25 लाख रुपये की रिश्वत का मामला... रिश्वत के बदले ठेकेदार का जुमार्ना कम किया गया

मुंबई : मुंबई 25 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में कथित तौर पर पता चला है कि आरोपी अधिकारी ने सितंबर में एक अन्य रेलवे अधिकारी से संपर्क किया था और उसे रेलवे ठेकेदार के 3.17 करोड़ रुपये के लंबित बिल को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने की जरूरत बताई थी। 25 लाख रुपये की रिश्वत का मामला, रिश्वत

के बदले ठेकेदार का जुमार्ना कम किया गया सीबीआई के अनुसार जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी अधिकारी के कथित हस्तक्षेप के कारण, अनुबंधित कार्य के निष्पादन में देरी के लिए आरोपी ठेकेदार पर लगाया गया भारी जुमार्ना, जो रेलवे अधिकारियों द्वारा शुरू में लगाया गया था, उससे कम कर दिया गया था और लंबित बिल का भुगतान अक्टूबर के अंत में कर दिया गया था। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, रेलवे अधिकारी से कथित तौर पर मामले में कुछ आरोपी निजी व्यक्तियों ने रेलवे के जुमार्ने को कम करने और अवैध रिश्वत के बदले लंबित बिल का भुगतान करने में मदद करने के लिए संपर्क किया था।

राहुल गांधी की ओर से पत्रकारों का बार-बार मजाक उड़ाना निंदा के योग्य - मुंबई प्रेस क्लब

मुंबईः महाराष्ट्र के अमरावती में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों पर सत्तारूढ़ सरकार के प्रति आभारी होने और उन्हें अपने 'मालिकों' के गुलाम होने का आरोप लगाया। मुंबई प्रेस क्लब ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी की 'गुलाम' वाली टिप्पणी पर चिंता जताते हुए मुंबई प्रेस क्लब ने इस बात पर जोर दिया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को केवल बयान देने के बजाय पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

मुंबई प्रेस क्लब ने क्या कहा?

प्रेस वक्तव्य में मुंबई प्रेस क्लब ने साफ किया कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलेआम प्रेस वार्ता से बचने के लिए आलोचना सही है। तो राहुल गांधी की ओर से पत्रकारों का बार-बार मजाक उड़ाना और उनका उपहास करना भी निंदा के योग्य है। क्लब ने कहा कि महाराष्ट्र के अमरावती में एक चुनावी रैली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों के बारे में बहुत ही तीखी टिप्पणी की। उन पर सत्ताधारी शासन के अधीन होने का आरोप लगाया और उन्हें 'अपने मालिकों का गुलाम' करार दिया। पत्रकारों की दुर्दशा के प्रति चिंता के बावजूद उनकी टिप्पणियों में एक प्रकार की संवेदना थी, जिसकी गहन जांच की आवश्यकता है।

राहुल गांधी से पूछे सवाल

क्लब ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या उन्होंने कभी भारत में श्रमजीवी पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों और पत्रकारिता की समग्र स्थिति के मूल कारणों पर विचार किया है। मुंबई प्रेस क्लब ने कहा कि आज पत्रकारों की खराब स्थिति मुख्य रूप से अनियंत्रित संविदाकरण से उत्पन्न हुई है। जो आंशिक रूप से 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से शुरू की गई नवउदारवादी नीतियों से प्रेरित थी।

पत्रकारों की दुर्दशा के पीछे कांग्रेस

पत्रकारों ने यूनियन बनाने और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों सहित महत्वपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें हासिल किया। हालांकि संविदाकरण ने एकाधिकार वाले मीडिया घरानों को पत्रकारों को मनमाने ढंग से नौकरी से निकालने की अनुमति दी। इससे यूनियन कमजोर हुई और पत्रकार असुरक्षित हो गए। आगे कहा गया कि अगर राहुल गांधी वास्तव में पत्रकारों की दुर्दशा को संबोधित करना चाहते हैं, तो शायद उन्हें अपनी आलोचना मीडिया मालिकों और उद्योग के भीतर संरचनात्मक मुद्दों की ओर मोड़नी चाहिए। बर्खास्तगी के सदैव मौजूद खतरे तथा बेरोजगार और अल्परोजगार वाले पत्रकारों की अधिक आपूर्ति के कारण यह अपेक्षा करना अवास्तविक है कि कार्यरत पत्रकार व्यक्तिगत जोखिम उठाकर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करेंगे।

मुंबई प्रेस क्लब ने आगे कहा कि हालांकि हम मीडिया के प्रति सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की ओर से पत्रकारों को बार-बार निशाना बनाना भी उतना ही चिंताजनक है। उनकी बयानबाजी से यह चिंता पैदा होती है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो वह प्रेस से किस तरह पेश आएगी। मुंबई प्रेस क्लब लगातार पत्रकारों के अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ खड़ा रहा है। चाहे वह सत्तारूढ़ दलों, मीडिया मालिकों या अन्य ताकतों की ओर से किया गया हो। इसलिए हम कामकाजी पत्रकारों के प्रति विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अड़ियल रवैये को गंभीर चिंता का विषय मानते हैं।

मुंबई विश्वविद्यालय ने एटीकेटी के परिणाम घोषित किए

मुंबईः मुंबई विश्वविद्यालय ने निर्धारित समय सीमा के भीतर पुनर्परीक्षा (एटीकेटी) के परिणाम घोषित किए हैं। तृतीय वर्ष बीएससी सेमेस्टर 6 की परीक्षा के परिणाम केवल नौ दिनों में घोषित किए गए, जबकि बीकॉम सेमेस्टर 6 की परीक्षा के परिणाम केवल 16 दिनों में घोषित किए गए। इसी तरह की दक्षता का प्रदर्शन करते हुए, बीकॉम अकाउंट और फाइनेंस सेमेस्टर 6 के परिणाम 22 दिनों में घोषित किए गए, और बीएमएस सेमेस्टर 6 के परिणाम 20 दिनों के भीतर प्रकाशित किए गए। यह

उपलब्धि उन हजारों छात्रों के लिए राहत की बात है, जिन्होंने इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भाग लिया था। शीतकालीन द्वितीय सेमेस्टर 2024 के दौरान, कुल 14,191 छात्र बीकॉम सेमेस्टर 6 एटीकेटी परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए, जबकि 2,926 छात्र बीएससी सेमेस्टर 6 परीक्षाओं के लिए पंजीकृत थे। इसके अलावा, 1,031 छात्रों ने बी.कॉम अकाउंट और फाइनेंस सेमेस्टर 6 की परीक्षा में भाग लिया, और 1,549 छात्र बीएमएस सेमेस्टर 6 की परीक्षा में शामिल हुए। समय पर मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता अन्य स्ट्रीम में भी लागू हुई। उदाहरण के लिए, बी.फार्मा सेमेस्टर 8 के नतीजे 18 दिनों में घोषित किए गए, जबकि बी.आर्क सेमेस्टर 6 के नतीजे 14 दिनों के भीतर उपलब्ध कराए गए।

मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की नीति आयोग की चाल -ठाकरे

मुंबई : क्या महाराष्ट्र से अलग हो जाएगा... महाराष्ट्र की सियासत में इस बात की चर्चा फिलहाल जोरों से चल रही है. शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर बड़ा वादा किया है. उन्होंने कहा है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश रची जा रही है. मगर हम इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे. इस दौरान उन्होंने नीति आयोग पर भी निशाना साधा.

मुंबई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की जो नीति आयोग की चाल है, उसे हम कभी फलीभूत नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि नीति आयोग बीएमसी को महत्व को कम करना चाहती है. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास को लेकर जो नीति आयोग का ब्लूप्रिंट है, वह ठीक नहीं है. उससे बृहन्मुंबई महानगरपालिका का महत्व कम होगा.

ठाकरे ने कहा कि सत्ता में आने पर हम यानी महा विकास अघाड़ी उस समझौते को रद्द कर देंगे, जिसको लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट ऑथरिटी के बीच समझौता हुआ था. ठाकरे ने कहा इस समझौते का उद्देश्य बीएमसी के महत्व को कम करना है. यह मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की एक चाल है.

उद्धव ने आगे कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट ऑथरिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनान के लिए सितंबर में एक टङ्मव साइन किया था. उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे. ठाकरे ने कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास को लेकर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार किया था. ठाकरे ने रैली में कहा कि एमवीए का पहला फैसला महायुति सरकार की नीतियों को खत्म करना होगा. उन्होंने कहा महायुति विकास-विरोधी नहीं बल्कि विनाश-विरोधी हैं.

ठाणे/ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में निवेश फर्म के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

ठाणे : एक निवेश फर्म के मालिक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी पर बेहतर रिटर्न के लिए शेयर मार्केट में पैसा निवेश का लालच देकर दो व्यक्तियों ने 1.39 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। बेहतर रिटर्न पाने के लालच में पीड़ितों ने दो साल तक 1.64 करोड़ रुपये का निवेश किया। हालांकि, आरोपी ने उनके पैसों को शेयर मार्केट में निवेश नहीं किया और इसका गलत इस्तेमाल किया। बाद में उसने पीड़ितों को केवल 24.9 लाख रुपये ही वापस किया। पीड़ितों ने इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रविवार को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

कालाधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले की सुनवाई, विशेष न्यायालय ने मांग खारिज कर दिया

मुंबई : वर्ष 2014 के चुनाव से पहले चर्चित हुए महाराष्ट्र सदन मामले में कालाधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में जारी रहने की बात स्पष्ट हो गई है। इस मामले में जिस तरह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने आरोपियों को बरी किया है, उसी तरह डेवलपर को भी कालाधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज अपराध से बरी किया जाना चाहिए। विशेष न्यायालय ने चमनकर एंटरप्राइजेज के अविनाश, प्रशांत और प्रसन्ना चमनकर भाइयों की मांग को खारिज कर दिया है।

कालाधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय सीधे मामला दर्ज नहीं कर सकता। हालांकि, पहले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय में अलग से मामला दर्ज किया जा सकता है। वर्ष 2015 में राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने महाराष्ट्र सदन मामले में मामला दर्ज किया था। हालांकि, डेवलपर चमनकर भाइयों को इस अपराध से बरी कर दिया गया था। इसलिए, चमनकर भाइयों ने कालाधन निवारण अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय में दोषमुक्ति के लिए आवेदन किया था। हालांकि, इस अर्जी को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है और कहा है कि इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी।

बीएमसी ने 20,000 अवैध बैनर... विज्ञापन बोर्ड और पोस्टर हटाए

मुंबई : मुंबई बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसने पिछले महीने चलाए गए विशेष अभियान के दौरान लगभग 20,000 अवैध बैनर, विज्ञापन बोर्ड और पोस्टर हटाए हैं। बीएमसी ने विशेष अभियान में 20,000 अवैध होर्डिंग हटाए अदालत के समक्ष दायर हलफनामे में, नगर निकाय ने खुलासा किया कि अवैध होर्डिंग में से 7,500 राजनीतिक थे, जबकि लगभग 8,200 धार्मिक प्रकृति के थे। बीएमसी ने कहा कि मुंबई के सभी 24 नगरपालिका वार्डों को सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

हलफनामे में पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें प्रत्येक वार्ड में प्रिंटिंग प्रेस का निरीक्षण भी शामिल है। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना पूर्व अनुमति के राजनीतिक होर्डिंग न बनाएं। इसके अतिरिक्त, विज्ञापनदाताओं को बेहतर ट्रैकिंग और प्रवर्तन के लिए अधिकृत होर्डिंग पर क्यूआर कोड शामिल करने के लिए कहा गया है। जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए, बीएमसी ने अवैध होर्डिंग से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। नागरिक आपले सरकार पोर्टल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यह अभियान पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद चलाया जा रहा है, जिसमें सभी नगर निगमों, परिषदों और ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक सड़कों, पार्कों और अन्य स्थानों से अवैध होर्डिंग्स हटाने के लिए सात से दस दिन का अभियान चलाने का आदेश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने 2011 की एक याचिका को पुनर्जीवित किया, जिसमें अवैध होर्डिंग्स हटाने के लिए पहले के अदालती आदेशों का नागरिक अधिकारियों द्वारा अनुपालन न करने का हवाला दिया गया था। हलफनामे के अनुसार, बीएमसी के विशेष अभियान के दौरान 24 वरिष्ठ निरीक्षक, लाइसेंस और होर्डिंग्स विभाग के 80 निरीक्षक और 50 वाहनों का उपयोग करके 183 मजदूरों को कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तैनात किया गया था।

सांताक्रूज पश्चिम से नौ वर्षीय लड़के का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोप में 31 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई : पुलिस ने शनिवार को बिहार में सांताक्रूज पश्चिम से नौ वर्षीय लड़के का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोप में 31 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी महेश्वर मुखिया ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के इरादे से लड़के का अपहरण किया, लेकिन जब लड़का मदद के लिए चिल्लाया तो उसने उसे मार डाला। पुलिस के अनुसार, लड़के का अपहरण 7 नवंबर की शाम को किया गया था, जब वह अपने परिवार के साथ छठ पूजा के लिए अपने घर के पास समुद्र तट पर गया था।

घर लौटते समय, लड़का भीड़ में अपने परिवार से अलग हो गया। उसके परिवार को उसके लापता होने का एहसास तब हुआ जब वे समुद्र तट से लगभग 3 किमी दूर घर पहुंचे। फिर उन्होंने पड़ोस में उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इलाके में एक कपड़े की दुकान में काम करने वाले मुखिया ने कथित तौर पर लड़के का अपहरण किया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसने फिर शव को एक अलग कपड़ा कारखाने की छत पर फेंक दिया. पुलिस ने 10 नवंबर को लड़के का शव बरामद किया, जब निवासियों ने कपड़ा फैक्ट्री की छत से बदबू आने की सूचना दी। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। जांच के दौरान, पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें लड़का मुखिया के साथ दिखाई दिया। पुलिस ने फिर मुखिया के नियोक्ता से उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ की और पता चला कि वह अगले दिन बिहार में अपने पैतृक स्थान पर चला गया था। शनिवार को पुलिस की एक टीम उसे बिहार से गिरफ्तार कर मुंबई ले आई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ''हमने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।''

ठाणे: महज छह महीने में हादसों में 135 लोगों की मौत

मुंबई: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रस्तावित वाटर टैक्सी सेवा से लोग मुंबई में कहीं से भी आगामी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 17 मिनट में पहुंच सकेंगे. इससे यात्रा का समय कम होगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री रविवार रात महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही.

उन्होंने मुंबई तथा ठाणे में संपर्क में बदलाव लाने और यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के मकसद से सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को रेखांकित किया. राज्य में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. नवी मुंबई में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन मार्च 2025 में शुरू होने की उम्मीद है.

सिर्फ 17 मिनट में पहुंचे नवी मुंबई एयरपोर्ट

गडकरी ने कहा कि प्रस्तावित वाटर टैक्सी सेवा शुरू होने पर यात्रियों को मुंबई के किसी भी हिस्से से नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने में ''केवल 17 मिनट'' लगेंगे. मंत्री ने कहा कि इस पहल का समर्थन करने के लिए हवाई अड्डे के पास 'जेटी' का निर्माण पहले ही किया जा चुका है. उन्होंने कहा, '' मुंबई और ठाणे के आसपास के विशाल समुद्री मार्गों का इस्तेमाल कर हम यातायात की भीड़ और वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम कर सकते हैं.'' मुंबई और पुणे में यातायात संबंधी समस्याओं पर गडकरी ने नयी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इसके पूरी तरह शुरू हो जाने पर बाहरी यातायात का मार्ग परिवर्तित हो जाएगा तथा महानगरीय क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम हो जाएगी.

बंबई उच्च न्यायालय ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सुनील माने की जमानत याचिका खारिज

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सुनील माने की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदी एसयूवी लगाने और 2021 में वाहन के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। एंटीलिया बम कांडः उच्च न्यायालय ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सुनील माने को जमानत देने से किया इनकार न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया हिरेन की

हत्या में माने की संलिप्तता और मिलीभगत को इंगित करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है।

इसने यह भी कहा कि माने, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि अपराध काफी गंभीर हैं, जिनमें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत अपराध भी शामिल हैं, साथ ही कहा कि उसे जमानत पर रिहा करना न्यायसंगत और उचित नहीं होगा। 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में एंटीलिया के पास एक महिंद्रा स्कॉर्पियो खड़ी मिली थी, जिसमें 20 ढीली जिलेटिन की छड़ें और अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी भरा एक नोट था। इससे पहले कि पुलिस रहस्य को सुलझा पाती, चार पहिया वाहन के मालिक हिरेन का शव मार्च को मुंब्रा के पास एक खाड़ी में मिला।

ठाणे में एक टेम्पो से मिला 58.68 लाख रुपये का प्रतिबंधित गुटखा

ठाणे : पुलिस ने एक टेम्पो से 58.68 लाख रुपये का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया। उन्होंने टेम्पो के चालक को गिरफ्तार कर लिया है।एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शनिवार दोपहर भिवंडी इलाके में राशन कार्यालय के परिसर पर छापा मारा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें टेम्पो से विभिन्न ब्रांडों के गुटखा मिले। पूछताछ के बाद टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पुलिस को मालूम चला कि अवैध गुटखा व्यापार में तीन अन्य लोग भी शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com